पंचदश बिहार विधान सभा

चतुर्दश सत्र

ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचनायें बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक 16.07.2014 के लिए अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है ।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
1.	श्री अरूण शंकर प्रसाद, स०वि०स० डॉ० अच्युतानन्द, स०वि०स० श्री महेन्द्र बैठा, स०वि०स० श्री प्रेम रंजन पटेल, स०वि०स० श्री विनोद नारायण झा, स०वि०स० श्रीमती मुन्नी देवी, स०वि०स० श्री विक्रम कुँवर, स०वि०स० श्री रामदेव महतो, स०वि०स० श्री चितरंजन कुमार, स०वि०स० श्री इन्द्रदेव माँझी, स०वि०स० श्री अरूण कुमार सिन्हा, स०वि०स०	"राज्य सरकार ने केन्द्र के तर्ज पर बिहार के कर्मचारियों एवं जनप्रतिनिधियों को जीवनपर्यन्त नि:शुल्क इलाज की सुविधा देने के उद्देश्य से एक प्रस्ताव वर्ष 2012 में तैयार किया था । उसी वर्ष स्वास्थ्य विभाग ने प्रस्ताव का फाईल तैयार कर वित्त विभाग को भेज दिया था । करीब तीन माह पश्चात् योजना में संशोधन के लिए फाईल वित्त विभाग ने स्वास्थ्य विभाग को लौटा दिया । उस समय से अभी तक दो वर्ष बीत जाने के पश्चात् उक्त फाईल दोनों विभाग के बीच लटका हुआ है जबकि इस योजना का प्रस्ताव तत्कालीन मुख्य मंत्री ने पारित किया था । इस पर विधान सभा के सभी दलीय नेताओं ने अपनी सहमति प्रदान की थी । इस योजना के तहत् विधायकों, पूर्व विधायकों के साथ राज्य के सरकारी कर्मचारियों को इलाज के लिए स्मार्ट कार्ड बनाया जाना था । इसी कार्ड के आधार पर इन्हें नि:शुल्क चिकित्सा एवं दवाई की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी । परन्तु अभी तक यह योजना अधर में है । अत: उक्त महत्वाकांक्षी योजना के शीघ्र क्रियान्वयन हेतु हम सरकार का ध्यान आकृष्ट करते है ।"	स्वास्थ्य

1	2	3	4
2.	श्री मंजीत कुमार सिंह, स०वि०स० डॉ० दाउद अली, स०वि०स० श्री अशोक कुमार सिंह, स०वि०स० श्री रतनेश सादा, स०वि०स० श्री श्याम बिहारी प्रसाद, स०वि०स० श्रीमती उषा सिन्हा, स०वि०स० श्री सदानन्द सिंह, स०वि०स० डॉ० इजहार अहमद, स०वि०स० डॉ० अरूण कुमार, स०वि०स० डॉ० प्रमोद कुमार सिंह, स०वि०स० श्री अरूण माँझी, स०वि०स० श्री भाई वीरेन्द्र, स०वि०स० श्री अवधेश कुमार राय, स०वि०स० श्री अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय, स०वि०स० श्रीमती सुनीता सिंह, स०वि०स० श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी, स०वि०स० श्री गिरिधारी यादव, स०वि०स० श्रीमती गुड्डी देवी, स०वि०स०	"मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना के तहत् सरकार ने विद्युतीकरण के लिए भी स्कीम अनुशंसित करने की नीति वर्ष 2013-14 से बिहार में लागू किया है । विधान मंडल के सदस्यों ने मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना के तहत् बिहार में विद्युतीकरण के लिए 5506 स्कीम की अनुशंसा किया, परन्तु इनमें केवल 4321 स्कीम की ही स्वीकृति हुई । स्वीकृत स्कीम के विरूद्ध केवल 3095 स्कीम के लिए योजना अधिकारी द्वारा राशि विमुक्त की गयी और केवल 1536 स्कीम पर ही कार्य प्रारम्भ हुआ । इससे स्पष्ट है कि अनुशंसा के बावजूद 2646 योजना का पैसा अबतक रिलीज नहीं किया गया, जिसका कोई औचित्य विभाग के पास नहीं है । माननीय सदस्यों द्वारा अनुशंसित योजना पर काम नहीं होने से विद्युतीकरण का कार्य नहीं हो सका । अतएव विधायकों की अनुशंसा के बावजूद अबतक कार्य प्रारम्भ नहीं होने के लिए जिम्मेवार पदाधिकारियों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई हेतु हम सरकार का ध्यानाकृष्ट करते हैं ।"	योजना एवं विकास / ऊर्जा

हरेराम मुखिया
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-21/14- 1055 / वि०स०, पटना, दिनांक- 15 जुलाई, 2014 ई० ।

प्रति:-बिहार विधान सभा के सदस्यगण / मुख्य मंत्री / मंत्रिगण / मुख्य सचिव, बिहार एवं राज्यपाल के प्रधान सचिव / लोकायुक्त के आप्त सचिव / सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना / संसदीय कार्य विभाग / स्वास्थ्य विभाग / योजना एवं विकास विभाग तथा ऊर्जा विभाग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(नियाज अहमद)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-21/14- 1055 / वि०स०, पटना, दिनांक- 15 जुलाई, 2014 ई० ।

प्रति:-अवर सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय / अपर आप्त सचिव, उपाध्यक्षीय कार्यालय / अवर सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमश: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित ।

(नियाज अहमद)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।